CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन

अकरा, घाना : 30 सितम्बर से 6 अक्तूबर 2023

शक्तियों के पृथक्करण पर लैटिमर हाउस सिद्धांतों के क्रियान्वयन के 20 वर्ष

श्री ज्ञान चंद गुप्ता

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, भारत

हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चंडीगढ़ – 160001 www.haryanaassembly.gov.in

66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन
अकरा, घाना

4 अक्तूबर, 2023

(संबोधन)
श्री ज्ञान चंद गुप्ता
माननीय अध्यक्ष,
हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़, भारत

शक्तियों के पृथक्करण पर लैटिमर हाउस सिद्धांतों के क्रियान्वयन के 20 वर्ष

आज का विश्व विकास की असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। कला, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीक कोई भी क्षेत्र विकास की लहर से अछूता नहीं है। इस विकास की लहर का श्रेय विश्व भर के देशों में अपनाई गई लोकतांत्रिक प्रणाली को जाता है। गत शताब्दियों से अधिकतर देशों ने शासन की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक लोगों की विकास कार्यों में सहभागिता तथा उनके लिए अवसर की समानता बढ़ी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के तीन अंग विधान पालिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार है कि ये एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना भी एक दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन तीन अंगों की भूमिका का स्पष्ट चित्रण हमें लैटिमर हाउस सिद्धांतों में देखने को मिलता है।

शासन के तीन अंगों के बीच संबंधों की जवाबदेही पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ने लैटिमर हाउस सिद्धांत को स्वीकार किया है। कॉमनवेल्थ वकील एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ मजिस्ट्रेट और जज एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित 'संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतंत्रता पर आधारित कॉमनवेल्थ मॉडल' विषय पर एक संगोष्ठी में लैटिमर दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। यह सम्मेलन वर्ष 1998 में 15 से 19 जून तक यूके लैटिमर हाउस में आयोजित किया गया था तथा इसमें प्रतिष्ठित सांसदों, न्यायाधीशों, वकीलों और कानूनविदों के शैक्षणिक समूह शामिल हुए थे।

नवंबर 2003 में नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीनों अंगों के बीच संबंधों की व्याख्या करने वाले राष्ट्रमंडल लैटिमर हाउस सिद्धांतों को और अधिक परिष्कृत किया। ये सिद्धांत राष्ट्रमंडल के लोकतंत्र, सुशासन, मानवाधिकार और कानून के शासन के बुनियादी मूल्यों के क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करते हैं। वर्ष 2005 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में सहमति के बाद ये मूल्य राष्ट्रमंडल का अभिन्न अंग बन गए।

ये सिद्धांत कानून के शासन की गारंटी सुनिश्चित करते हुए विधान पालिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, मौलिक मानवाधिकारों के प्रचार व संरक्षण और सुशासन पर आधारित लोकतंत्र और इसके लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के उच्चतम मानक तय करते हैं।

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। नागरिकों द्वारा चुनी गई विधान पालिका को जवाबदेह बनाने और पारदर्शितापूर्ण तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना इन सिद्धांतों के मुख्य लक्ष्य हैं।

मुझे यहां बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि लैटिमर हाउस सिद्धांतों में जिस आदर्श लोकतंत्र, संवैधानिक सर्वोच्चता और शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या की गई है, वह भारत में इन सिद्धांतों की घोषणा से बहुत पहले ही लागू हो चुकी है। भारत आज न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। इन सिद्धांतों में जिन-जिन लोकतांत्रिक आदर्शों की बात कही गई वे भारत में आजादी के तुरंत बाद 26 जनवरी 1950 से ही लागू हैं। क्योंकि यह सब भारत के संविधान में ही निहित है।

यहां मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी सुनिश्चित करते हुए विधान पालिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं भारतीय संविधान के 8 अनुच्छेदों को यहां उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहूंगा।

- **अनुच्छेद 50 :** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य क़दम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 105 और 194 :** सांसद और विधायक सत्र में जो कुछ भी बोलते हैं, उसके लिए अदालत उन्हें नहीं बुला सकती है।

- **अनुच्छेद 121 और 211 :** इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है।
- **अनुच्छेद 122 और 212 :** संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 361 :** राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय के अतीत के अभ्यास और कर्तव्यों के लिये किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

कोई भी न्यायपूर्ण व ईमानदार सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक मानवाधिकार सुनिश्चित करती है। इसमें जाति, रंग, पंथ या राजनीतिक विश्वास की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर उपलब्ध रहते हैं। महिलाओं और विकास की धारा से वंचित रह गए वर्गों के लिए समानता जरूरी है, जिससे वे अपने पूर्ण और समान अधिकारों का प्रयोग कर सकें। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुछ इसी प्रकार कहा है : **"लोकतंत्र के बारे में मेरी यह धारणा है कि इसमें कमजोर से कमजोर आदमी के पास भी उतने ही अवसर होने चाहिए जितने कि सबसे ताकतवर के पास।"**

लैटिमर हाउस सिद्धांतों में न्यायिक जवाबदेही की व्यवस्था इसके 'न्यायिक जवाबदेही' शीर्षक के तहत पैरा VI(1) में इस प्रकार कहा गया है:

i. ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश को हटाए जाने का खतरा हो, न्यायाधीश को आरोपों के बारे में पूरी तरह से सूचित होने, सुनवाई में प्रतिनिधित्व करने, पूर्ण बचाव करने और एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। निष्पक्ष न्यायाधिकरण की स्थापना हो। किसी न्यायाधीश को हटाने का आधार निम्नलिखित तक सीमित होना चाहिए :

(क) न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता; और

(ख) गंभीर कदाचार।

ii. अन्य सभी मामलों में, प्रक्रिया अदालतों के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित की जानी चाहिए;

iii. अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में न्यायाधीशों की सार्वजनिक चेतावनी शामिल नहीं होनी चाहिए। कोई भी चेतावनी मुख्य न्यायाधीश द्वारा निजी तौर पर दी जानी चाहिए।

राष्ट्रमंडल के ये सिद्धांत विधानपालिका और न्याय पालिका के बीच आपसी संबंध होने के बावजूद दोनों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र भी निर्धारित करते हैं। कानून बनाना विधान पालिका की जिम्मेदारी है तो कानून की व्याख्या करना न्याय पालिका की जिम्मेदारी है। भारत में न्याय पालिका और विधान पालिका को कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाएं रचनात्मक तरीके से निभा रही हैं। ये एक-दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करती है। भारत की संसद ने गत 9 वर्षों में अप्रसांगिक हो चुके 1,562 कानूनों को निरस्त किया है। समय के साथ कानून अपना

महत्व खो चुके थे। विधान पालिका ने यह कदम उठाकर न्याय पालिका के कार्य आसान किए हैं।

जनप्रतिनिधि गैर-कानूनी हस्तक्षेप से मुक्त होकर संविधान के अनुसार अपने विधायी और संवैधानिक कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार और सक्षम न्याय पालिका कानून के शासन को कायम रखने, जनता में विश्वास पैदा करने और न्याय प्रदान करने के लिए अभिन्न अंग है।

इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विचारों को समझना होगा। उन्होंने कहा है कि : **"लोकतंत्र में संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए एक-एक नागरिक का कल्याण, उनकी निजता और उनकी खुशी महत्वपूर्ण है।"**

विधान पालिका और कार्यपालिका को सभी सार्वजनिक कार्यों के संचालन में जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के उच्च मानक स्थापित किए हैं। संसदीय प्रक्रियाओं को संसद के प्रति कार्य पालिका की जवाबदेही को लागू करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान किया गया है। न्यायाधीश संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह हैं। वे ईमानदारी से, स्वतंत्र रूप से और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं। न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता के सिद्धांत न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास और उसके महत्व को रेखांकित करते हैं। इस विश्वास पर ही एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्भर करती है।

सर्वोत्तम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए सरकारों के कार्य अदालतों द्वारा जांच के लिए खुले है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी निर्णय संविधान, प्रासंगिक क़ानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित कानून सहित अन्य कानून का अनुपालन करें। किसी न्यायिक अधिकारी को हटाने में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय शामिल हैं। न्यायिक कार्यों के प्रदर्शन की वैध आलोचना को प्रतिबंधित करने के लिए आपराधिक कानून और अवमानना कार्यवाही का उपयोग नहीं किया जा सकता।

सुशासन के लिए भ्रष्टाचार के प्रति सख्ती महत्वपूर्ण है। एक जिम्मेदार सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ अपने नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए तंत्र की स्थापना से जनता का विश्वास बढ़ता है। लोक लेखा समितियां, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, सूचना आयुक्त आदि स्वतंत्र निकाय सुशासन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सरकारों में उचित निरीक्षण निकाय स्थापित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समुचित योजना बनाई गई है।

सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और जीवंत मीडिया को प्रोत्साहित किया गया है। मीडिया की स्वतंत्रता कानून द्वारा संरक्षित की गई है ताकि वह सार्वजनिक मामलों पर जिम्मेदारां ढंग से उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रिपोर्टिंग व टिप्पणी कर सके।

विधान पालिका और कार्यपालिका ने राष्ट्रमंडल के मूलभूत मूल्यों के क्रियान्वयन में नागरिक समाज की भूमिका को भी पहचाना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वैध भागीदारी के लिए व्यापक अवसर सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज के साथ रचनात्मक संबंध बनाने का प्रयास किया गया है।

कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्ष्य विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। भारत के महान चिंतक एवं एकात्म मानववाद के प्रेरणता पं. दीन दयाल उपाध्याय जी ने भी इसी बात पर जोर दिया है। यह सब तभी संभव हो सकेगा, जब हम शासन व्यवस्था और विकास कार्यों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका में समुचित संतुलन साध कर ही भारत में यह सब संभव हो सका है। मुझे विश्वास है कि 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के मंच से हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

वन्दे मातरम्!

जय हिन्द!!

यह भाषण हरियाणा विधान सभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
https://haryanaassembly.gov.in/speech/

CPA COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION

66th Commonwealth Parliamentary Conference

Accra, Ghana : 30 September - 6 October 2023

20 years of the Latimer House Principles on the Separation of Powers : Is it working?

Sh. Gian Chand Gupta

Speaker,

Haryana Legislative Assembly, India

हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चंडीगढ़ - 160001 www.haryanaassembly.gov.in

66th Commonwealth Parliamentary Conference
Accra, Ghana

October 4th, 2023

Address by :

Shri Gian Chand Gupta

Hon'ble Speaker,
Haryana Legislative Assembly,
Chandigarh (India)

20 years of the Latimer House Principles on the Separation of Powers : Is it working?

Ladies and gentlemen, distinguished guests,

Today, the world is touching the endless heights of Development. No area of Art, Trade, Science and Technology is left untouched from the wave of Development. The credit of this wave of Development goes to the Democratic system adopted in the countries worldwide. Most of the countries adopted this Democratic System of Governance since last century. As a result, the cooperation of more and more people in development works increases the opportunity of equality for them. The three most important branches of Governance in democratic system are Legislature, Executive and Judiciary. These three branches perform the role of complementor for each other without interrupting in the works of others. We found a clear delineation of the role of these three branches of democratic system in the Latimer House Principles.

The Commonwealth Parliamentary Association accepted the Latimer House Principle on the accountability of relations in between three parts of Governance. The Latimer guidelines had

been prepared in the seminar "The Commonwealth Model based on Parliamentary Supremacy, Judicial Independence" which was jointly sponsored by the Commonwealth Lawyers' Association, Commonwealth Legal Association, Commonwealth Magistrate and Judge Association and Commonwealth Parliamentary Association. This Conference was held in U.K. Latimer House from 15th to 19th June, 1998 and prestigious MPs, Magistrates, Lawyers and Lawmakers attended the same.

The principles of Commonwealth Latimer House interpreting the relations between the three branches of Democratic System were refined by the Chairman, Commonwealth Governance at Abuja (Nigeria) in November, 2003. These principles provide an effective infrastructure for execution of basic values of Governance of Democracy i.e. Good Governance, Human Rights and Law. These values have become integral part of Commonwealth after the consent in the meeting of the Chairman, Commonwealth Governance in the year 2005.

These principles divide the powers between Legislature, Executive and Judiciary with regard to promotion and protection of fundamental rights and democracy based good governance and to provide road map for it after ensuring the guarantee of governance. These principles decide the standards of honesty, probity and accountability. It promotes the establishment of independent and proficient judiciary. The main objective of these principles is to fix accountability of Legislature and transparent & corruption free administrative system.

I am proud to say that the interpretation of dividing ideal democracy, constitutional supremacy and powers contained in the Latimer House Principles were introduced in India very earlier. It is pertinent to mention here that India is not only the largest democracy of the world but it is the best democracy also. The

values contained in these principles were implemented in India since 26th January, 1950 immediately after its independence.

It is worth to mention here that the powers were divided between Legislature, Executive and Judiciary after ensuing the guarantee of independent judiciary in the Constitution of India. To make it clearer, I would like to present some articles of the Constitution of India as example: -

Article 50: The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Article 105 and 194: No Member of Parliament or Member of Legislature shall be liable to any proceedings in any Court in respect of anything said by him in Parliament or Legislature.

Article 121 and 211: No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

Article 122 and 212: The validity of proceedings in Parliament and Legislative Assembly shall not be called in question in the Court.

Article 361: The President or the Governor shall not be answerable to any Court for the exercise and performance of the powers and duties of his office be done by him in the exercise and performance of those powers and duties.

Any honest Government ensures the fundamental rights of all its citizens. It makes equal rights and opportunities available for all its citizens without discrimination of caste, colour, creed and political trust. Equality is necessary for all the categories deprived of the act of development and women empowerment so that they may use their equal rights. The Father of India, Mahatma Gandhi said “I understand democracy as something that gives the weak the same chance as the strong”.

The management of Judicial Accountability in Latimer House Principle is described in Para VI (1) under the title "Judicial Accountability: -

(I) In cases where as judge is at risk or removal, the judge must have the right to be fully informed of the charges, to be represented at a hearing, to make a full defence and to be judged by an independent and impartial tribunal. Grounds for removal of a judge should be limited to:
   a. Inability to perform judicial duties, and
   b. Serious misconduct

(ii) In all other matters, the process should be conducted by the chief judge of the courts;

(iii) Disciplinary procedures should not include the public admonition of judges. Any admonitions should be delivered in private, by the chief judge.

The principle of Commonwealth also determines the respective field of Legislature and Judiciary inspite of having inter relation. The formulation of law is the responsibility of Legislature whereas the interpretation of law is the responsibility of Judiciary. In India, the Judiciary and Legislature are performing their role with creative methods for the promotion of governance of law. In the last 9 years, the Parliament of India has replaced 1562 laws which were irrelevant. These laws have lost its significance with the time period. The Legislature has made the work of Judiciary convenient.

Public representatives are efficient to perform their legislative and constitutional duties as per the Constitution without any illegal interference. An independent, impartial, fair and effective judiciary is an integral part of maintaining the rule of law, instilling confidence in the public and providing justice.

To clarify this topic, we need to refer to the thoughts of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, former President of India. He said “In a democracy, the wellbeing, individuality and happiness of every citizen is important for overall prosperity, peace and happiness of the nation”.

The legislature and the executive have set high standards of accountability, transparency and responsibility in the conduct of all public functions. Parliamentary procedures provide adequate mechanisms to enforce the accountability of the executive to Parliament. Judges are accountable to the Constitution and the law. They work honestly, independently and with integrity. A responsible democratic system depends on this belief that the principles of judicial accountability and impudence underline the importance of public trust in the judicial system.

For the best democratic principles, the actions of governments are open to scrutiny by the courts. It is ensured that all decision comply with the Constitution, relevant laws and other laws including laws related to the principles of natural justice. The removal of a judicial officer includes appropriate safeguards to ensure impartiality. Criminal law and contempt proceedings cannot be used to prohibit legitimate criticism of the performance of judicial functions.

Strictness against corruption is important for good governance. A responsible government encourages active participation of its citizens in the democratic process along with freedom of expression. In an ideal democratic system, the establishment of a mechanism to monitor the actions of the government increases public confidence. Public Accounts Committee, Lokpal, Human Right Commission, Auditor General, Anti-Corruption Commission, Information Commission etc. independent bodies play a vital role in creating public awareness about good governance. Appropriate

plans have been made to establish and encourage appropriate oversight bodies in governments as per national circumstances.

Free and vibrant media has been encouraged to ensure transparency and accountability of the government. Freedom of the media is protected by law so that it can comment on public matters in a responsible manner through objective and impartial reporting.

The role of civil society has also been recognized in the implementation of the fundamental values of the Commonwealth by the legislature and the executive. Efforts have been made to build constructive relationships with civil society to ensure broad opportunities for legitimate participation in the democratic process.

Overall, the aim of the democratic system is to hold the hand of the person standing at the back in the race of development and give him an opportunity to move forward. India's great thinker and inspiration of integral Humanism, Pandit Deen Dayal Upadhyay has also emphasized this point. All this will be possible only when we ensure participation of all sections of the society in governance and development works. All this has been possible in India only by maintaining proper balance between the legislature, executive and judiciary. I am confident that we will all move forward with this resolution from the platform of the 66th Commonwealth Parliamentary Conference. With this hope and belief, I am closing my words.

Vande Matram!

Jai Hind!

This speech is also available on the website of Haryana Legislative Assembly
https://haryanaassembly.gov.in/speech/

10601—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.

हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चंडीगढ़ – 160001

यह भाषण हरियाणा विधान सभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
This speech is also available on the website of Haryana Legislative Assembly
https://haryanaassembly.gov.in/speech/